झारखण्ड विधान सभा

अल्पसूचित प्रश्नों की सूची

पंचम् झारखण्ड विधान सभा
द्वितीय (बजट) सत्र
वर्ग–02

निम्नलिखित अल्प–सूचित प्रश्न, मंगलवार, दिनांक– 13 फाल्गुन 1941 (श0) / 03 मार्च, 2020 (ई0) को

झारखण्ड विधान–सभा के आदेश–पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क्रमांक	विभागों को संसूचित गई सा0 सं0	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
1.	2.	3.	4.	5.	6.
13	अ0सू0–14	श्री मनीष जायसवाल,	प्राधानाध्यापको का पदस्थापन।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	25.02.2020
14	अ0सू0–11	श्री राज सिन्हा,	निजी विद्यालयों के शुल्क वृद्धि पर नियंत्रण।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	24.02.2020
15	अ0सू0–01	श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह,	J.TET परीक्षा का आयोजन	स्कूली शिक्षा एंव साक्षरता	20.02.2020
16	अ0सू0–04	सुश्री अम्बा प्रसाद,	विशेष शिक्षकों की नियुक्ति।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	22.02.2020
* 17	अ0सू0–07	श्री बंधु तिर्की,	जमीन का कागज उपलब्ध कराना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	23.02.2020
18	अ0सू0–20	श्री दीपक बिरुवा,	शिक्षकों की नियुक्ति	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	28.02.2020
19	अ0सू0–17	श्री राजेश कच्छप,	प्रमोटर का चयन।	उद्योग	28.02.2020
20	अ0सू0–21	डॉ0 इरफान अंसारी,	व्यवस्था में बदलाव।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	28.02.2020
21	अ0सू0–05	श्री प्रदीप यादव,	दोषियों पर कार्रवाई	उच्च तकनिकी शिक्षा एवं कौशल विकास	23.02.2020
22	अ0सू0–03	श्री विनोद कुमार सिंह,	बंद विद्यालयों को प्रारंभ कराना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	22.02.2020
23	अ0सू0–09	श्री प्रदीप यादव,	विद्यालय का निर्माण	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	24.02.2020

* राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग में स्थानान्तरित।

1.	2.	3.	4.	5.	6.
24	अ0सू0–18	श्री राजेश कच्छप,	ईकाईयों का अधिग्रहण।	उद्योग	28.02.2020
25	अ0सू0–06	श्री बंधु तिर्की,	पुस्तक उपलब्ध । कराना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता।	23.02.2020
26	अ0सू0–12	डॉ0 इरफान अंसारी,	पत्थरों के खनन पर रोक।	खान एवं भूतत्व	25.02.2020
27	अ0सू0–22	श्री भूषण तिर्की,	शिक्षकों की नियुक्ति/ पदस्थापन	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता।	28.02.2020
28	अ0सू0–08	श्री बिरंची नारायण,	सीमा को कम करना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता।	24.02.2020
29	अ0सू0–13	श्री मनीष जायसवाल,	डिस्टेंश एजुकेशन की स्थापना।	उच्च तकनिकी शिक्षा एवं कौशल विकास	25.02.2020

स्थान–राँची
दिनांक–03 मार्च,2020 ई0।

महेन्द्र प्रसाद,
सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,रांची।

ज्ञाप संख्या–प्रश्न–03 / 2020–......577....../वि0स0,रांची,दिनांक– 01/03/2020

प्रतिलिपि :– झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री/माननीय मत्रिगण/माननीय संसदीय कार्य मंत्री/ माननीय नेता प्रतिपक्ष, झारखण्ड विधान सभा/मुख्य सचिव तथा माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों के सचिवों को सूचनार्थ प्रेषित।

29/02/20

(संजीत कुमार)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्य–प्रश्न–03 / 2020–......577....../वि0स0,रांची,दिनांक– 01/03/2020

प्रतिलिपि :– आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं सचिवीय कार्यालय/अपर सचिव, (प्रश्न)/संयुक्त सचिव, (प्रश्न) झारखण्ड विधान सभा को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय/सचिव महोदय एवं संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

29/02/20

उप सचिव,झारखण्ड विधान सभा,रांची।

ज्ञाप संख्या–प्रश्न–03 / 2020–......577....../वि0स0,रांची,दिनांक– 01/03/2020

प्रतिलिपि :– कार्यवाही शाखा/आश्वासन समिति शाखा, प्रश्न ध्यानाकर्षण समिति शाखा एवं वेबसाईट शाखा को सूचनार्थ प्रेषित।

29/02/20

उप सचिव,झारखण्ड विधान सभा,रांची।

राय/

(13)

327
02/03/2020

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

श्री मनीष जायसवाल, स.वि.स. से प्राप्त अल्प-सूचित प्रश्न संख्या अ.सू.-14

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-	**श्री जगरनाथ महतो, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार**
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य के मध्य विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों के कुल 3226 स्वीकृत पदों के विरुद्ध मात्र सिर्फ 226 प्रधानाध्यापक ही पदस्थापित है जिसमें हजारीबाग, चतरा, सरायकेला, लोहरदगा, साहेबगंज एवं पाकुड़ सहित कई अन्य जिलों में एक भी प्रधानाध्यापक नहीं है;	वस्तुस्थिति यह है कि राज्य के मध्य विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के 3181 पद स्वीकृत हैं जिसके विरूद्ध 173 नियमित प्रधानाध्यापक कार्यरत है। शेष सभी विद्यालयों में प्रभारी प्रधानाध्यापक कार्यरत हैं।
2.	क्या यह बात सही है कि राज्य गठन से लेकर अब तक खण्ड-01 में वर्णित प्रधानाध्यापकों के प्रोन्नतियों के लंबित रहने एवं प्रोन्नति से संबंधित नियमावली में त्रुटी के कारण ही अहर्ताधारी शिक्षकों को अब तक उक्त पद पर प्रोन्नति के लाभ से वंचित रहना पड़ा;	वस्तुस्थिति यह है कि माननीय उच्च न्यायालय के विभिन्न न्यायादेशों के उपरान्त आपसी वरीयता निर्धारित करने हेतु संकल्प संख्या 3027 दिनांक 14.12.2015 एवं संकल्प संख्या 1145 दिनांक 18.07.2019 के आलोक में ग्रेड-3 एवं 4 एवं उच्चतर ग्रेडों में वांछित अहर्ताधारी अभ्यर्थी/शिक्षक नहीं होने के कारण अधिकांश पदों पर प्रोन्नति नहीं दी जा सकी है। वर्तमान में राजीयकृत शिक्षक प्रोन्नति नियमावली, 1993 के प्रावधान के क्रम में कालावधि पूर्ण होने पर ही प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति जिला स्थापना समिति से देने का प्रावधान है।
3.	क्या यह बात सही है कि खण्ड-01 में वर्णित पदों पर अस्थाई व्यवस्था के तहत प्रभारी प्रधानाध्यापक होने के कारण स्कूल प्रबंधन से संबंधित नीतिगत निर्णय लेने में काफी कठिनाई हो रही है;	प्रभारी प्रधानाध्यापक को नियमित प्रधानाध्यापक के अनुरूप सभी शक्ति प्रदत्त है। इसलिए कार्य में कोई कठिनाई नहीं है। विद्यालय स्तर पर नीतिगत निर्णय नहीं होता है। विद्यालय में अध्ययन-अध्यापन का कार्य किया जाता है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड-01 में वर्णित स्वीकृत पदों पर पदस्थापन का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उक्त कंडिकाओं में उत्तर अंकित है।

2/3/2020

सरकार के अवर सचिव

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक 16/वि-1-06/20-327 राँची, दिनांक 02/03/2020

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 379, दिनांक 25-02-2020 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

2/3/2020

सरकार के अवर सचिव

(14)

457
02/03/2020

श्री राज सिन्हा, स०वि०स० से प्राप्त अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ०सू–11

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड में C.B.S.E. एवं I.C.S.E. द्वारा संबद्ध प्राइवेट स्कूल संचालित किए जा रहे है, जिसमें स्कूल प्रबंधन मुख्य भूमिका में रहते है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि स्कूल प्रबंधन द्वारा प्रत्येक वर्ष बच्चों के नामांकन में Annual Fee लिया जाता है तथा वर्ष के 12 महिनों का बस फी लिया जाता है जबकि 2 माह स्कूल की छुट्टी (अवकाश) रहता है;	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि स्कूल प्रबंधन द्वारा प्रत्येक वर्ष मनमाने तरीके से स्कूल के फीस तथा बस के फीस की वृद्धि कर दी जाती है, जबकि दिल्ली तथा अन्य शहरों में पांच वर्षों से प्राइवेट स्कूल की फीस में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की गई है ;	प्राईवेट विद्यालयों का संचालन स्कूल के प्रबंधन द्वारा किया जाता है। स्कूल अपने संचालन हेतु छात्रों की फीस पर ही निर्भर रहता है। फीस वृद्धि को नियंत्रण करने के लिए राज्य सरकार द्वारा झारखण्ड अधिनियम संख्या–15, 2018 झारखण्ड शिक्षा न्यायाधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2017 के द्वारा फीस वृद्धि नियंत्रण करने की व्यवस्था की गई है। संबंधित अभिभावक असंतुष्ट होने पर उपायुक्त के स्तर पर गठित समिति के समक्ष आवेदन कर सकते है। जिला स्तरीय समिति में माननीय विधायक भी सदस्य है। फलस्वरूप दिल्ली तथा अन्य शहरों के प्राईवेट स्कूलों की फीस वृद्धि संबंधी आंकड़ा उपलब्ध नहीं है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार प्राईवेट स्कूल प्रबंधन को नियंत्रण करने तथा मनमाने तरीके से वसूले जा रहे Annual Fee, School Fee तथा Bus Fee को नियंत्रित करना चाहती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	वर्णित स्थिति से निपटने की व्यवस्था की गई है। झारखण्ड अधिनियम संख्या–15, 2018 झारखण्ड शिक्षा न्यायाधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2017 द्वारा निजी विद्यालय, जो राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त न हो, के शुल्क निर्धारण हेतु विद्यालय एवं जिला स्तर पर शुल्क संग्रहण समिति की स्थापना की गई है। प्रमण्डलीय आयुक्त तथा झारखण्ड शिक्षा न्यायाधिकरण के स्तर पर अपील का भी प्रावधान है।

02/03/2020
सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10 / वि.स.1–06 / 2020 457 रॉंची, दिनांक 02/03/2020

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, रॉंची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02/03/2020
सरकार के उप सचिव।

सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

17 पौष, 1940 (श०)

संख्या- 9 राँची, सोमवार, 7 जनवरी, 2019 (ई०)

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

26 अक्टूबर, 2018

संख्या-एल०जी०-28/2017-160/लेज०-- झारखंड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर राज्यपाल दिनांक **02 अक्टूबर, 2018** को अनुमति दे चुकीं है, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है।

झारखण्ड शिक्षा न्यायाधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2017

(झारखण्ड अधिनियम संख्या- 15, 2018)

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा टी.एम.ए. पाई बनाम कर्नाटक राज्य एवं माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा रिट डब्लू.पी. (पी.आई.एल.) संख्या 2744/2003 एवं डब्लू.पी. (पी.आई.एल.) संख्या 2537/2002 में दिनांक 5 अगस्त, 2003 को दिये गये आदेश के अनुपालन में सहायता प्राप्त, संबद्ध एवं निजी विद्यालयों के शिक्षकों एवं इन संस्थानों में अध्ययनरत छात्रों के

माता-पिता/अभिभावकों के शिकायतों के निवारण हेतु एक अपीलीय न्यायाधिकरण के रूप में वैधानिक न्यायाधिकरण के गठन के लिए उपयुक्त प्रावधान बनाने के लिए अधिनिमित किया गया है।

झारखण्ड शिक्षा न्यायाधिकरण अधिनियम, 2005 (झारखण्ड अधिनियम, 06, 2005) में निम्न नई प्रस्तावना जोड़ने का प्रस्ताव है।

और जबकि, झारखण्ड शिक्षा न्यायाधिकरण अधिनियम, 2005 को अधिनियमित होने के पश्चात् न्यायाधिकरण को सौंपे गये कार्यों एवं जिम्मेदारियों के कार्यान्वयन के क्रम में महसूस किया गया कि निजी विद्यालयों, जो राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त न हो या स्थानीय निकायों या केन्द्र या राज्य सरकार के नियंत्रण में हो, के शुल्क निर्धारण के लिए कोई निर्धारित मापदण्ड नहीं है। जिस कारण झारखण्ड उच्च न्यायालय, डब्लू.पी. (पी.आई.एल.) संख्या 3271/2013 के आलोक में निजी विद्यालयों द्वारा अधिक शुल्क निर्धारण के जाँच हेतु कमिटी का गठन किया गया। शुल्क संग्रहण को विनियमित करने हेतु कमिटी द्वारा झारखण्ड सरकार को उचित कानून बनाने का सुझाव दिया गया।

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधान मंडल द्वारा उक्त अधिनियम में निम्नरूप से संशोधन हेतु विधेयक लाने का प्रस्ताव है।

झारखण्ड शिक्षा न्यायाधिकरण अधिनियम, 2005 (झारखण्ड अधिनियम, 06, 2005) के प्रस्तावना में उल्लिखित वैधिक फोरम के स्थान पर वैधिक न्यायाधिकरण शब्द को प्रतिस्थापित किया जाता है।

अध्याय- I

प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ -**

(i) यह अधिनियम झारखण्ड शिक्षा न्यायाधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2017 कहा जायेगा।

(ii) यह पूरे झारखण्ड राज्य में लागू होगा।

(iii) इस अधिनियम के प्रावधान, गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. अध्याय-1 की धारा-2 की उपधारा 'ण' के बाद निम्नलिखित परिभाषाएँ जोड़ी जाय -

(त) "शैक्षणिक वर्ष" से अभिप्रेत है, अप्रैल के पहले दिन से शुरू होकर मार्च के आखिरी दिन तक,

(थ) "सहायता प्राप्त विद्यालय" से अभिप्रेत है, राज्य निधियों से कोई भी राशि सहायता के रूप में प्राप्त करने वाले विद्यालय,

(द) "समिति" से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के तहत विद्यालय स्तर पर गठित शुल्क समिति,

(ध) "जिला समिति" से अभिप्रेत है, इस अधिनियम की धारा 7(2)(ii) के तहत जिला स्तर पर गठित समिति,

(न) "शुल्क" से अभिप्रेत है, विद्यालय द्वारा किसी भी मानक या किसी पाठ्यक्रम के अध्ययन के प्रवेश या अध्ययन अवधि के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एकत्र की जाने वाली राशि, बस शुल्क सहित, जो किसी भी नाम से जानी जाती हो,

(प) "सरकारी विद्यालय" से अभिप्रेत है, सरकार या किसी स्थानीय निकाय द्वारा संचालित विद्यालय,

(फ) "प्रबंधन" से अभिप्रेत है, प्रबंधन समिति या किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह, समिति या किसी अन्य शासी निकाय को, जो किसी भी नाम से बुलाई जाती हो, जिसमें विद्यालय के मामलों का प्रबंधन या प्रशासन करने की शक्ति निहित है,

(ब) "निजी विद्यालय" से अभिप्रेत है, किसी भी पूर्व प्राथमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, उच्च विद्यालय या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जो किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा स्थापित और प्रशासित या अनुरक्षित और किसी भी कानून या संहिता के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी समय के लिए मान्यता प्राप्त या अनुमोदित हो, लेकिन इसमें निम्न विद्यालय शामिल नहीं है-

- (i) सहायता प्राप्त विद्यालय,
- (ii) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा स्थापित और प्रशासित या अनुरक्षित कोई विद्यालय,
- (iii) केवल धार्मिक शिक्षा प्रदान करने वाले विद्यालय लेकिन अन्य कोई निर्देश नहीं हो।

(भ) "अभिभावक शिक्षक संघ" से अभिप्रेत है, विद्यालय द्वारा गठित माता-पिता और शिक्षकों का समूह,

अध्याय-II

शुल्क संग्रहण समिति की स्थापना (विद्यालय एवं जिला स्तर पर)

3. अध्याय (II) में निम्नलिखित नई धाराएँ अधिनियम की धारा-7 के बाद जोड़ी जाएंगी-

7 अ (1) **शुल्क के संग्रह का विनियमन**- सरकार द्वारा निजी विद्यालयों द्वारा लगाए गये शुल्क विनियमित किये जायेंगे। शुल्क निम्नानुसार विनियमित किये जायेंगे-

(क) प्रत्येक विद्यालय की फीस समिति होगी, जिसमें नीचे वर्णित सदस्य होंगे:-

(i) निजी विद्यालय में प्रबंधन द्वारा मनोनित प्रतिनिधि- अध्यक्ष

(ii) निजी विद्यालय के प्रधानाचार्य- सचिव

(iii) निजी विद्यालय के प्रबंधन द्वारा मनोनित तीन शिक्षक- सदस्य

(iv) माता-पिता शिक्षक संघ द्वारा नामित चार माता-पिता- सदस्य

विद्यालय प्रबंधन द्वारा विद्यालय स्तर पर गठित शुल्क समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों को शुल्क निर्धारण का एजेन्डा एवं बैठक की सूचना एक सप्ताह पूर्व उपलब्ध कराई जायेगी।

(ख) समिति का कार्यकाल तीन शैक्षणिक वर्षों के लिए होगा और कोई भी अभिभावक सदस्य समिति के सदस्य के रूप में अपने कार्यकाल की समाप्ति के बाद पुनः मनोनयन के लिए पात्र नहीं होंगे।

(ग) निजी विद्यालयों का प्रबंधन, अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए विद्यालय स्तरीय समिति को फीस का प्रस्ताव देने के लिए सक्षम होगा।

(घ) **शुल्क निर्धारण के कारक**- किसी विद्यालय द्वारा संग्रहीत किये जाने वाले शुल्क का विनिश्चय करते समय निम्नलिखित कारक ध्यान में रखे जायेंगे-

(i) विद्यालय की अवस्थिति,

(ii) गुणात्मक शिक्षा के लिए छात्रों को उपलब्ध कराई गई संरचनाएं,

(iii) प्रशासन और रख रखाव पर व्यय,

(iv) मापदण्डों के अनुसार अर्हतित शिक्षक और शिक्षकेत्तर कर्मचारी तथा उनके वेतन घटक,

(v) वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए युक्तियुक्त राशि,

(vi) विद्यालय के कुल आय में से छात्रों पर उपगत व्यय,

(vii) शिक्षा के विकास और विद्यालय के विस्तार के प्रयोजन के लिए युक्तियुक्त अधिशेष राजस्व और

(viii) कोई भी अन्य कारक जो विहित किया जाय।

(ङ) अधिनियम के तहत निर्धारित सभी प्रासंगिक कारकों पर विचार करने के बाद शुल्क समिति, प्रस्तावित शुल्क संरचना की प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर फीस को मंजूरी देगी और लिखित रूप में स्वीकृत शुल्क के विवरणियां को प्राचार्य को संप्रेषित करेगी। शुल्क समिति द्वारा निर्धारित शुल्क दो वर्षों के लिए प्रभावी होगी ।

(च) समिति विभिन्न शीर्षों को बताएगी, जिसके तहत शुल्क लगाया गया।

(छ) यदि समिति द्वारा तय शुल्क में वृद्धि पिछले वर्ष के शुल्क के 10 प्रतिशत से अधिक है, तो मामले को जिला समिति को अनुमोदन के लिए भेजेगी।

(ज) शुल्क समिति निर्दिष्ट अवधि के भीतर शुल्क का निर्णय करने में विफल हो जाता है, तो प्रबंधन, शुल्क समिति को सूचना देते हुए तुरंत मामले को जिला समिति के संदर्भ में लायेगा। शुल्क निर्धारण लंबित रहने के दौरान विद्यालय प्रबंधन पिछले शैक्षणिक वर्ष के शुल्क के अनुरूप शुल्क एकत्रित करने के लिए स्वतंत्र होगा।

7 अ. (2) जिला समिति-

(i) निर्धारित शुल्क के विरूद्ध विद्यालय स्तरीय शुल्क समितियाँ प्रबंधन द्वारा निर्दिष्ट किये गये मामले में निर्णय लेने के लिए जिला समिति का गठन किया जाएगा।

(ii) समिति निम्नलिखित सदस्यों से गठित होगी-

(क) उपायुक्त- अध्यक्ष

(ख) जिला शिक्षा पदाधिकारी- पदेन सदस्य-सदस्य सचिव (माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिए)

(ग) जिला शिक्षा अधीक्षक- पदेन सदस्य-सदस्य सचिव (प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों के लिए)

(घ) जिला परिवहन पदाधिकारी- पदेन सदस्य

(ङ) सनदी लेखाकार (चार्टर्ड एकाउंटेंट) (समिति द्वारा नामित)- सदस्य

(च) निजी विद्यालयों के दो प्राचार्य (समिति द्वारा नामित)- सदस्य

(छ) दो माता-पिता (समिति द्वारा नामित)- सदस्य

(ज) संबन्धित क्षेत्र के सांसद एवं विधायक - सदस्य

जिला स्तरीय समिति के बैठक की सूचना एवं एजेन्डा 15 दिनों पूर्व समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों को उपलब्ध कराई जायेगी

(iii) जिला समिति विपक्षी को सुनवाई का अवसर देने के बाद आवेदन दाखिल करने की तारीख से साठ दिनों की अवधि के भीतर यथासंभव अपील या संदर्भ का फैसला करेगी।

(iv) निजी विद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क को जिला समिति धारा-7 क.(1)(घ) में निर्धारित कारकों को ध्यान में रखते हुए जाँच करेगी।

(v) अपील या संदर्भ में जिला समिति का निर्णय संबंधित विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाएगा और यदि विद्यालय का अपना वैबसाईट है तो प्रबंधन द्वारा उसी वैबसाईट पर इसे भी प्रदर्शित किया जाएगा।

(vi) जिला समिति को अपने कार्यों के निर्वहन के लिए उत्पन्न होने वाले सभी मामलों में अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति होगी और इस अधिनियम के तहत किसी भी जांच के प्रयोजन के लिए, जिसके तहत मामलों में मुकदमा चलाने की कोशिश करेगा, किसी वाद का निवारण करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या-5) के अधीन समस्त निम्नलिखित शक्तियाँ प्राप्त होगी, अर्थात-

(क) किसी भी गवाह को समन करना और उपस्थित (हाजीर) कराना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना

(ख) किसी भी दस्तावेज का प्रकटीकरण और पेश किया जाना।

(ग) शपथ पत्रों पर साक्ष्य की प्राप्ति।

(घ) गवाह की परीक्षा के लिए किसी भी आयोग का गठन।

(ङ) अपील या संदर्भ में जिला समिति के निर्णय से प्रभावित प्रबंधन या शुल्क समिति, ऐसे फैसले की तारीख से नब्बे दिनों के भीतर झारखण्ड शिक्षा

न्यायाधिकरण में अपील कर सकता है, जैसा राज्य सरकार द्वारा विहित किया गया हो।

2. जिला समिति का आदेश दो शैक्षणिक वर्षों के लिए सभी पक्षों के अनुपालन के लिए बाध्यकारी होगा। इस अधिनियम के तहत् झारखण्ड शिक्षा न्यायाधिकरण में अपील को छोड़कर किसी अन्य सिविल न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जायेगा।

7अ. (3) **भवन और परिसर का उपयोग-** विद्यालय भवन या संरचना या परिसर का उपयोग केवल शिक्षा के उद्देश्य के लिए किया जाएगा और विद्यालय परिसर में अवस्थित कियोस्क से पुस्तक या अन्य सामग्री यथा वर्दी एवं जूते आदि के क्रय के लिए अविभावकों/छात्र-छात्राओं को बाध्य/प्रेरित नहीं करेंगे ।

7अ. (4) **अपराध और दण्ड-** जो कोई भी, प्रबंधन या निजी विद्यालय इस अधिनियम या तद्धीन (तहत) बनाये गये नियमों, 7अ.(1)(2)(3) के किसी भी प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो वह -

(i) प्रथम अपराध के लिए ऐसे जुर्माने से, जो पचास हजार रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो दो लाख पचास हजार रुपये तक का हो सकेगा या इस अधिनियम के अधीन यथा अवधारित शुल्क के आधिक्य में ली गयी रकम का दोगुना, जो भी अधिक हो, से दण्डनीय होगा।

(ii) द्वितीय या पश्चात्वर्ती अपराध के लिए, ऐसे जुर्माने से, जो एक लाख रुपये से कम का नहीं होगा या इस अधिनियम के अधीन यथा अवधारित शुल्क के आधिक्य में ली गयी रकम का दोगुना, जो भी अधिक हो, से दण्डनीय होगा।

(iii) उपर्युक्त दण्ड लगाने के अलावा दोषी विद्यालय की मान्यता समाप्ति के लिए उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी और संबंधित विद्यालय की मान्यता समाप्ति के लिए संबंधित संबद्ध निकाय के हिस्से के लिए अनिवार्य होगा।

7अ. (5) **अपराध एवं दण्ड हेतु उत्तरदायित्वों का निर्धारण-**

(i) जो कोई भी, प्रबंधन या निजी विद्यालय इस अधिनियम की धारा 7क.(4) में वर्णित उत्तरदायित्वों के निर्धारण एवं कार्यान्वयन हेतु संबंधित प्रमंडल के प्रमंडलीय आयुक्त अधिकृत होंगे। दण्ड स्वरूप प्राप्त राशि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, रांची के राजस्व शीर्ष में जमा होगा।

(ii) जिला समिति के निर्णय के उल्लंघन होने पर निर्णय के 90 दिनों के अंदर इसकी सूचना प्रमंडलीय आयुक्त को जिला समिति के किसी नामित सदस्य द्वारा दी जायेगी।

(iii) प्रमंडलीय आयुक्त जिला समिति के सदस्यों से प्राप्त सूचना/शिकायत के सुनवाई का अवसर प्रदान कर यथासंभव 60 दिनों के अंदर इसका निष्पादन करेंगे।

4. अधिनियम की धारा-11 (च) को निम्न से प्रतिस्थापित किया जाता है-

"न्यायाधिकरण अपने निर्णयों की समीक्षा आदेश/न्यायादेश के 30 दिनों के भीतर आवेदन प्राप्त होने पर करेगा।"

5. अधिनियम की धारा-15 को निम्न से प्रतिस्थापित किया जाता है-

"न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश/न्यायादेश के विरुद्ध झारखण्ड उच्च न्यायालय में 90 दिनों के भीतर अपील दायर की जा सकेगी"

6. अधिनियम की धारा-22(ख.) के बाद नई उप-धारा (ग.) निम्न प्रकार जोड़ी जायेगी-

"न्यायाधिकरण के आदेश या निर्णय के 90 दिनों के अंदर आवेदक न्यायाधिकरण के समक्ष आदेश के कार्यान्वयन हेतु आवेदन दायर कर सकेगा।"

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

संजय प्रसाद,

प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी

विधि विभाग, झारखंड, राँची।

15

329
02/03/2020

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह, स.वि.स. से प्राप्त अल्प-सूचित प्रश्न संख्या अ.सू.-01

	प्रश्न	उत्तर
क्रमांक	**क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-**	**श्री जगरनाथ महतो, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार**
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य में झारखण्ड शिक्षक योग्यता परीक्षा झारखण्ड टेट परीक्षा वर्ष 2013 तथा 2016 में आयोजित किया गया था;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड शिक्षक योग्यता परीक्षा नियमित नहीं होने के कारण राज्य में आयोजित होने वाले शिक्षक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा की पात्रता मापदंड प्राप्त करने के कारण अभ्यर्थी झारखण्ड शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में भाग लेने से वंचित हो रहे हैं;	वस्तुस्थिति यह है कि झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा के नियमित आयोजन हेतु "झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली-2019" का गठन किया गया है। उक्त नियमावली की कंडिका-12 के अनुसार प्रत्येक वर्ष परीक्षा आयोजित की जानी है। परीक्षा आयोजन हेतु झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची को प्राधिकृत किया गया है। पूर्व में शिक्षक पात्रता परीक्षा की मान्यता की कालावधि 5 वर्ष थी, जिसको विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक 389, दिनांक 08.03.2019 से बढ़ाकर 7 वर्ष किया गया है। वर्तमान में राज्य में टेट परीक्षा में सफल अभ्यर्थी की संख्या 1,19,821 है तथा 18,794 शिक्षकों की नियुक्ति की गई है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार नियमित रूप से जेटेट परीक्षा का आयोजन करना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	निदेशालय के पत्रांक 1605 दिनांक 04.10.2019 के द्वारा परीक्षा आयोजन हेतु झारखण्ड अधिविद्य परिषद् (JAC) को अनुरोध किया गया है।

2/3/2020
सरकार के अवर सचिव

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक 16/वि-1-02/20-323 राँची, दिनांक 02/03/2020

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 79, दिनांक 20.02.2020 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2/3/2020
सरकार के अवर सचिव

18

476
02-03-2020

<table>
<tr><td colspan="3">श्री दीपक बिरुवा, स0वि0स0 से प्राप्त अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू–20
क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि–</td></tr>
<tr><th>क्रमांक</th><th>प्रश्न</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td>1</td><td>क्या यह बात सही है, कि प्राथमिक विद्यालय, माध्य विद्यालय, उच्च विद्यालय एवं प्लस–टू उच्च विद्यालयों में शिक्षक के लिये 95615 स्वीकृत पद है ;</td><td>स्वीकारात्मक।
वर्तमान में शिक्षकों के स्वीकृत पद की स्थिति निम्नवत् है :–
<table>
<tr><th>प्राथमिक विद्यालय</th><th>माध्यमिक विद्यालय</th><th>उच्चतर माध्यमिक विद्यालय</th><th>कुल</th></tr>
<tr><td>64806</td><td>25169</td><td>5610</td><td>95585</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>2</td><td>क्या यह बात सही है, कि उक्त विद्यालयों में स्वीकृत पद के विरूद्ध 72004 शिक्षक ही कार्यरत है तथा 23611 पद रिक्त पड़ा हुआ है;</td><td>अस्वीकारात्मक।
वर्तमान में स्वीकृत पदों के विरूद्ध कार्यरत एवं रिक्त पद की स्थिति निम्नवत् है :–
<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>शिक्षक</th><th>स्वीकृत पद</th><th>कार्यरत पद</th><th>रिक्त पद</th></tr>
<tr><td>1</td><td>प्राथमिक शिक्षक</td><td>64806</td><td>45384</td><td>12762</td></tr>
<tr><td>2</td><td>स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक</td><td>25169</td><td>11553</td><td>13616</td></tr>
<tr><td>3</td><td>स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक</td><td>5610</td><td>2546</td><td>3064</td></tr>
<tr><td colspan="2">कुल</td><td>95585</td><td>59483</td><td>29442</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>3</td><td>यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य के शिक्षित बेरोजगार युवक/युवितियों को रोजगार प्रदान करने हेतु उक्त वर्णित रिक्त पदों पर शिक्षकों को नियुक्त करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?</td><td>वर्ष 2017 में 1385 स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। वर्ष 2018 में 8199 स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को अद्यतन माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, रांची द्वारा W.P.(C) No. 1387/2017 सोनी कुमारी व अन्य बनाम् झारखण्ड राज्य व अन्य तथा अन्य सदृश्य-वादों में दिनांक 18.09.2019 को पारित न्यायादेश के क्रम में स्थगित किया गया है।</td></tr>
</table>

सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10/वि.स.1–13/2020 476 राँची, दिनांक 02-03-2020

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

19

श्री, राजेश कच्छप, स0वि0स0 द्वारा दिनांक–03.03.2020 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–17

क्या मंत्री,
उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– मंत्री–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है, कि राँची जिला अन्तर्गत अनगड़ा अंचल के गेतलसूद में वर्ष 2009 में ही 56 एकड़ भूमि पर झारखण्ड मेगा फूड पार्क का निर्माण कार्य कराया गया है;	स्वीकारात्मक
2.	क्या यह बात सही है, कि विभाग की लापरवाही के कारण उद्घघाटन हो जाने के बावजूद प्रमोटर के अभाव में सम्पति का नुकसान हो रहा है;	अस्वीकारात्मक झारखण्ड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार द्वारा विहित प्रक्रिया अन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्र की भूमि निजी इकाईयों के बीच उद्योगों की स्थापना हेतु आवंटित की जाती है। गेतलसूद अवस्थित औद्योगिक क्षेत्र में मेसर्स झारखण्ड मेगा फूड पार्क प्रा0 लि0 को मेगा फूड पार्क के निर्माण हेतु वर्ष 2009 में 56.00 एकड़ भूमि आवंटित की गयी। किन्तु वर्ष 2019 में मेसर्स झारखण्ड मेगा फूड पार्क प्रा0 लि0 इकाई द्वारा इलाहाबाद बैंक से लिये गये ऋण की अदायगी नहीं किये जाने के फलस्वरूप इसे NPA (Non Performing Asset)- गैर निष्पादित परिसम्पत्ति घोषित कर दिया गया है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित में प्रमोटर चयनिक करने का विचार रखती है, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	कंडिका–2 में यथा वस्तुस्थिति अंकित कर दिया गया है।

झारखण्ड सरकार
उद्योग विभाग

ज्ञापांक–01 / विधानसभा–03–08 / 2020 257 राँची, दिनांक:– 02/03/2020

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक–473, दिनांक–28.02.2020 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2/3/20
सरकार के संयुक्त सचिव

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
डॉ0 इरफान अंसारी स.वि.स. से प्राप्त अल्प-सूचित प्रश्न संख्या अ.सू.-21

	प्रश्न	उत्तर
क्रमांक	क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-	श्री जगरनाथ महतो, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार
1.	क्या यह बात सही है, कि वर्ग आठ तक के स्कूली बच्चों का पाठ्यक्रम प्रत्येक वर्ष बदल दिया जाता है और नये पाठ्यक्रम के अनुसार पुस्तकों की छपाई की जाती है और बच्चों को मुफ्त उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें विलंब भी होता है और सरकार को काफी वित्तीय भार का वहन करना पड़ता है;	अस्वीकारात्मक। जे.सी.ई.आर.टी. द्वारा शैक्षणिक सत्र 2017-18 से कक्षा प्रथम से अष्टम तक की पाठ्य पुस्तकें विकसित करायी गयी हैं। इसके पूर्व में एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा विकसित पाठ्य पुस्तकें ही राज्य के विद्यालयों में व्यवहार में लायी जाती थीं। जे.सी.ई.आर.टी. द्वारा विकसित पाठ्य पुस्तकें एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा विकसित राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के आधार पर विकसित पाठ्यक्रम के आलोक में तैयार की गयी हैं, जिनमें राज्य की विशिष्टताओं को सम्मिलित किया गया है। विगत 3 वर्षों में वर्ग 8 तक के स्कूली बच्चों के पाठ्यक्रम में वृहत परिवर्तन नहीं किया गया है। शैक्षणिक सत्र 2019-20 में कक्षा-3 से 8 तक के पाठ्य पुस्तकों का संवर्द्धन क्यू आर कोड लगाकर किया गया है, जिन्हें स्कैन कर छात्र-छात्रा डिजिटल सामग्री के माध्यम से विस्तारित अध्ययन कर सकते हैं। इससे पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण में कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़ता है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के तहत केन्द्र सरकार द्वारा पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण हेतु राशि उपलब्ध करायी जाती है। कक्षा-1 से 8 तक के सरकारी एवं सहायता प्राप्त विद्यालय के विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करायी जाती है। राज्य के सभी विद्यालयों में बुक बैंक संचालित हैं, जिनमें छात्र-छात्राओं द्वारा

<table>
<tr><td></td><td></td><td>व्यवहृत पाठ्य पुस्तकें जमा की जाती हैं एवं आवश्यकतानुसार वितरित की जाती हैं।
राज्य योजना के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक के मद में निम्न राशि व्यय की गई है।
<table><tr><th>वर्ष</th><th>रू0 (लाख में)</th></tr><tr><td>2015–16</td><td>2379.22</td></tr><tr><td>2016–17</td><td>2207.96</td></tr><tr><td>2017–18</td><td>2241.42</td></tr></table>
वित्तीय वर्ष-2018-19 एवं 2019-20 में पाठ्य पुस्तक मद में राज्य योजना से कोई राशि व्यय नहीं की गई है। इस तरह प्रति वर्ष 22 करोड़ एवं दो वर्षों में कुल-44 करोड़ की बचत हुई है।</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>क्या यह बात सही है, कि देश के अन्य राज्यों में ऐसी व्यवस्था है;</td><td>देश के अन्य राज्यों में इस हेतु अलग-अलग व्यवस्था है जिसकी जानकारी विभाग के पास उपलब्ध नहीं है।</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वर्तमान व्यवस्था को बदलने का विचार रखती है। हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों?</td><td>इस खण्ड का उत्तर खण्ड-1 एवं 2 में समाहित है।</td></tr>
</table>

9/3/2020

सरकार के अवर सचिव

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक 16/वि.1–16/2020...–339....... राँची, दिनांक ....09.03.............2020

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 475, दिनांक 28.02.2020 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/3/2020

सरकार के अवर सचिव

Khurshid

पंचम झारखण्ड विधान सभा का द्वितीय सत्र में दिनांक 03.03.2020 को श्री प्रदीप यादव, स0वि0स0 द्वारा पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न सं0–05 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि कौशल विकास के तहत् बेरोजगार युवक एवं युवतियों को प्रशिक्षण एवं नौकरी देने का प्रावधान किया गया है;	– आंशिक स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि वर्ष 2018 में 26000 एवं 2019 में एक लाख लोगों को प्रशिक्षित कर नौकरी देने का दावा किया गया है साथ ही झारखण्ड सरकार द्वारा एक दिन में 26000 युवक एवं युवतियों को नौकरी देकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया गया है;	– आंशिक स्वीकारात्मक। वर्ष 2018 में विभिन्न विभागों यथा: उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, नगर विकास विभाग एवं आवास विभाग, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, उद्योग विभाग, पर्यटन , कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के द्वारा प्रशिक्षित एवं प्रशिक्षण पूर्व 26,674 लोगों को नौकरी हेतु प्रस्ताव पत्र (ऑफर लेटर) दिया गया था। वर्ष 2019 में विभिन्न विभागों यथा: झारखण्ड कौशल विकास मिशन सोसाईटी, उच्च शिक्षा निदेशालय, तकनीकी शिक्षा निदेशालय, ग्रामीण विकास विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, उद्योग विभाग एवं कल्याण विभाग के द्वारा प्रशिक्षित एवं प्रशिक्षण पूर्व 1,06,619 लोगों को ऑफर लेटर दिया गया था। साथ ही स्किल समिट 2018 में एक दिन में सर्वाधिक संख्या में जॉब प्लेसमेंट के लिए "लिम्का बुक ऑफ रिकार्डस–इंडियन रिकार्ड" में दर्ज किया गया है।
3. क्या यह बात सही है कि सरकारी पदाधिकारी एवं ऐजेंसी द्वारा प्रशिक्षण एवं रोजगार के नाम पर धोखा देने का मामला प्रकाश में आया है;	– अस्वीकारात्मक।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इसकी जाँच एस0आई0टी0 का गठन कर या किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराते हुए दोषियों पर कार्रवाई करना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	– स्किल समिट 2018 तथा ग्लोबल स्किल समिट 2019 में जिन व्यक्तियों को ऑफर लेटर दिया गया था उनके नियोजन की अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त करने हेतु विभागीय स्तर पर जाँच समिति गठित कर जाँच की जाएगी।

उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग
नेपाल हाऊस, डोरण्डा, राँची

ज्ञापांक– 01उ0त0/वि0स0–02/2020 218 /राँची, दिनांक– 02.03.2020

प्रतिलिपि :–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 236 दिनांक 23.02.2020 के आलोक में 200 प्रतियों के साथ झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

02/03/2020

(सरकार के अवर सचिव)

322
02/03/2020

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

श्री विनोद कुमार सिंह, स.वि.स. से प्राप्त अल्प–सूचित प्रश्न संख्या अ.सू.–03

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि: -	**श्री जगरनाथ महतो, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार**
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य में 6 हजार से ज्यादा प्राथमिक विद्यालयों को विलय के नाम पर बंद किया गया;	वस्तुस्थिति यह है कि भारत सरकार के पत्रांक–F.No.12-4/2016-EE.11, दिनांक 07.07.2017 के क्रम में शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 के मानक के अधीन गुणवतापूर्ण शिक्षा प्रदान करने हेतु विद्यालय पुनर्गठन की कार्रवाई विभागीय पत्रांक–410 दिनांक–09.02.2018 द्वारा निर्धारित पाँच मानकों के आधार पर स्थलीय क्षेत्र निरीक्षण के पश्चात प्रखण्ड शिक्षा समिति एवं जिला प्रारंभिक शिक्षा समिति के अनुमोदन पर किया गया है। जिसके तहत् 3538 विद्यालयों का विलय किया गया है। इसके अन्तर्गत एक ही कैम्पस में संचालित विभिन्न विद्यालयों में 497 विद्यालय, शून्य नामांकन वाले कुल 62 विद्यालय एवं 01–10 नामांकन वाले कुल 164 विद्यालयों, 11–20 नामांकन वाले कुल 666 विद्यालयों, 21–30 नामांकन वाले कुल 878, अन्य (30 से अधिक नामांकन) वाले कुल 1544 विद्यालयों का विलय किया गया तथा 571 विद्यालयों का अवक्रमण किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय में इस विषय पर दायर चार जनहित याचिका (PIL संख्या–3227/2018, 2545/2018, 1654/2018 एवं 3123/2018) का निष्पादन इस नीति को सही मानते हुए किया गया है। दो याचिकाकर्त्ता पर न्यायालय द्वारा आर्थिक दण्ड भी अधिरोपित किया गया है।
2.	क्या यह बात सही है कि बंद विद्यालय में छात्रों की पढ़ाई बाधित हुई व इन्हें घर से स्कूल ज्यादा दूरी तय करनी पड़ रही है ;	अस्वीकारात्मक। युक्तिकरण द्वारा शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 के मानक के अधीन प्रत्येक कक्षा में पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध कराया गया है। शिक्षा के गुणवत्ता के सुधार की पुष्टि NAS 2017–18, नीति आयोग 2018 तथा असर 2019 के प्रतिवेदन में स्पष्ट है। झारखण्ड राज्य अंतर्गत सरकारी विद्यालय के पुनर्गठन के क्रम में गुणवत शिक्षा हेतु इन्टीग्रेटेड विद्यालय इत्यादि में स्वेच्छा से प्रोत्साहित करते हुए नामांकित वर्ग 6 एवं 7 में अध्ययनरत सभी कोटि के छात्र–छात्राओं को साईकिल उपलब्ध कराने हेतु संकल्प संख्या–827, दिनांक 14.03.2019 निर्गत है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार समीक्षा कर बंद विद्यालयों को प्रारंभ करने की विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	इस खण्ड का उत्तर उपर्युक्त खण्डों में निहित है।

2/3/2020

सरकार के अवर सचिव

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक 14/वि.2-02/20 322 राँची, दिनांक 02/03/2020

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 148, दिनांक 22.02.2020 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2/3/2020
सरकार के अवर सचिव

Khurshid

467
02/03/2020

श्री प्रदीप यादव, स०वि०स० से प्राप्त अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ०सू–09

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि सैनिक विद्यालय, तिलैया जिला कोडरमा के अलावे गोड्डा जिला में भी भारत सरकार ने द्वितीय सैनिक विद्यालय की स्वीकृति दी है ;	स्वीकारात्मक। रक्षा मंत्रालय भारत सरकार के पत्रांक DO No. 32(27)/2007/D(SSC) दिनांक 07.08.2017 द्वारा गोड्डा जिले में द्वितीय सैनिक विद्यालय खोलने की सैधांतिक स्वीकृति दी गयी है। प्रारम्भिक लगभग 100 (सौ) करोड़ राज्य सरकार द्वारा आधारभूत संरचना इत्यादि पर व्यय करना होगा। रक्षा मंत्रालय भारत सरकार के पत्रांक–729 दिनांक 27.02.2012 द्वारा उपलब्ध कराये गये दिशानिर्देश के अनुसार सैनिक स्कूल-सोसाइटी के विनियमों के नियम 1.23 के तहत सैनिक स्कूल खोले जाने के लिये राज्य सरकार का उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है, जिसमें 1996 के बाद 300 छात्रों के लिये सैनिक स्कूल हेतु 40 एकड़ तथा 600 छात्रों वाले सैनिक स्कूल के लिये 50 एकड़ जमीन की व्यवस्था तथा उपलब्ध भूमि पर कई प्रकार के भवन एवं अन्य आधारभूत संरचनाओं के निर्माण, साथ ही सभी आवश्यक संसाधनों एवं सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करने का दायित्व राज्य सरकार का है। सैनिक स्कूल सोसाइटी के नियमों एवं शर्तों के तहत प्रस्तावित सैनिक स्कूल गोड्डा की स्थापना के लिये सरकार द्वारा अबतक निम्न कार्रवाई की गयी है :– 1. गोड्डा जिलान्तर्गत मौजा मोपपहाड़ी में 49 एकड़ भूमि को चिन्हित किया गया है जिसका भौतिक निरीक्षण एवं आकलन सैनिक स्कूल सोसाइटी द्वारा कर लिया गया है। भूमि निरीक्षण एवं आकलन के क्रम में पाया गया कि लिंक रोड से प्रस्तावित भूमि तक के पहुंच पथ लगभग 26 किलोमीटर की पहुंच पथ को दुरूस्त करने की आवश्यकता है। साथ ही मानिकपुर चौक से मदन चौकी चौक तक की 4 किलोमीटर ग्रामीण पथ का भी निर्माण आवश्यक है। इसके लिये निदेशालय का पत्रांक–25 दिनांक 03.01.2020 द्वारा सचिव पथ निर्माण विभाग से अनुरोध किया गया, पुनः पत्रांक–421 दिनांक 27.02.2020 द्वारा उन्हें स्मारित किया गया। 2. उक्त चिन्हित स्थल पर सैनिक स्कूल भवन निर्माण हेतु 49 एकड़ भूमि स्थानान्तरण करने के लिये निदेशालय का पत्रांक–2712 दिनांक 25.10.2019 द्वारा सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, रांची से अनुरोध किया गया। पुनः निदेशालय के पत्रांक–27 दिनांक 03.01.2020 तथा पत्रांक–420 दिनांक 27.02.2020 द्वारा स्मारित किया गया। 3. प्रधान सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 30.08.2019 को सम्पन्न बैठक में लिये निर्णयानुसार गोड्डा जिला में प्रस्तावित सैनिक विद्यालय के अस्थायी संचालन हेतु तत्काल कस्तुरबा गांधी आवासीय

		बालिका विद्यालय, छात्रावास, बरतापहाड़, भतखोरिया, ठाकुरगंगटी, गोड्डा को चिन्हित किया गया, जो तीन तल्ला है तथा सभी सुविधाओं से पूर्ण है। इसी चिन्हित भवन में प्रस्तावित सैनिक स्कूल, गोड्डा के अस्थायी संचालन हेतु निदेशालय का पत्रांक–2770 दिनांक 31.10.2019 के द्वारा संयुक्त सचिव, सैनिक स्कूल सोसाइटी, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली से अनुरोध किया गया है। पुनः निदेशालय-पत्रांक–26 दिनांक 03.01.2020 तथा पत्रांक–422 दिनांक 27.02.2020 द्वारा उन्हें स्मारित किया गया। सरकार की ओर से सैनिक स्कूल सोसाईटी के साथ MoU एवं राशि की उपलब्धता हेतु राज्य सरकार से अन्तिम स्वीकृति प्रक्रियाधीन है।
2	क्या यह बात सही है इस स्वीकृत विद्यालय के निर्माण की कार्य योजना का वर्ष 2020–21 में अनुमानित लागत 150 करोड़ की प्रस्तावित है ;	सैनिक सोसाईटी के पत्र के अनुसार अंतिम डी.पी.आर. (DPR) बनाने पर वास्तविक राशि का पता चल सकेगा।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उपर्युक्त विद्यालय का निर्माण कार्य वर्ष 2020–21 में प्रारम्भ कराना चाहती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	इस खण्ड का उत्तर खण्ड–1 में सन्निहित है।

सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10 / वि.स.1–08 / 2020 467   राँची, दिनांक 02/03/2020

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

श्री. राजेश कच्छप, स०वि०स० द्वारा दिनांक–03.03.2020 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–18

क्या मंत्री,
उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–

मंत्री–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है, झारखण्ड सरकार एवं बिहार सरकार की सहमति से बिहार सरकार ने अधिसूचना सं० 6 (s)/Miss/BSIDC 07/2016-2146, दिनांक–24.05.2028 द्वारा संकल्प जारी कर बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड के आस्तियों एवं दायित्वों के संबंध में तय किया है कि झारखण्ड राज्य स्थित बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड की इकाइयाँ 01.04.2018 के प्रभाव से झारखण्ड राज्य के अधीन होंगे;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। बिहार एवं झारखण्ड राज्य स्थित बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम के आस्तियो एवं दायित्वों का बंटवारे के संबंध में बिहार सरकार के उद्योग विभाग द्वारा संकल्प अधि० सं० 2146 दिनांक 24.05.2018 द्वारा निर्गत किया गया था। किन्तु Assets एवं Liabilities का बंटवारा Bihar Reorganisation Act 2000 की धारा 46 एवं 47 पर निहित प्रावधानों के आलोक में नही होने के कारण झारखण्ड राज्य द्वारा आस्तियों एवं दायित्वों के बंटवारा संबंधी बिहार से निर्गत संकल्प को स्वीकार नही किया गया है।
2.	क्या यह बात सही है, कि उपर्युक्त संकल्प के आलोक में बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड के आस्तियों एवं दायित्वों का मूल्यांकन दोनों राज्यों के पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से किया है जिसे बिहार सरकार ने ज्ञापांक–309, दिनांक– 19.06.2019 द्वारा अधिसूचित किया है;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। झारखण्ड राज्य में बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम के पब्लिक सेक्टर, असिस्टेड सेक्टर, असिस्टेड यूनिट, संयुक्त क्षेत्र की इकाईयाँ कुल 25 इकाईयाँ अवस्थित है। उक्त 25 इकाईयो मे से सिर्फ पब्लिक सेक्टर की 5 इकाईयों का ही मूल्यांकन हुआ है।
3.	क्या यह बात सही है, कि उपर्युक्त तथ्यो के बावजूद भी बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड की झारखण्ड स्थित इकाइयों (1) बिहार स्टेट सुपरफास्फेट फैक्ट्री सिन्दरी, धनबाद (2) हाई टेन्सन इन्स्युलेटर फैक्ट्री नामकुम, राँची (3) इलेक्ट्रिक इक्वीपमेंट फैक्ट्री टाटीसिलवे, राँची (4) मैलेबुल कास्ट आयरन फाउन्ड्री एवं (5) स्वर्णरेखा घड़ी कारखाना दोनों नामकुम, राँची के आस्तियों का अधिग्रहण आज तक झारखण्ड सरकार द्वारा नही किया गया ;	स्वीकारात्मक। Bihar Reorganisation Act 2000 की धारा 46 एवं 47 के अनुरूप जिस राज्य में जो दायित्व होगा उसकी देनदारी उस राज्य की होगी, पर बिहार सरकार से सहमति मांगी गई है, जो अप्राप्त है। सहमति प्राप्त होने के उपरान्त ही अग्रेत्तर कार्रवाई की जा सकेगी।
4.	क्या यह बात सही है, कि झारखण्ड राज्य स्थित उक्त इकाइयों के दायित्वों का भी भुगतान नहीं किया गया है, जिससे कर्मचारियों का बकाया वेतन सेवानिवृति की परिलब्धियाँ आदि शामिल है;	जब तक झारखण्ड को बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम की आस्तियों एवं दायित्वों का बंटवारा नही हो जाता है, तब तक बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम के कर्मचारियों के बकाया वेतन, सेवानिवृत्ति की परिलब्धियों की देनदारी का दायित्व झारखण्ड की नही है।
5.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार झारखण्ड स्थित उपरोक्त इकाइयों का अधिग्रहण और दायित्वों का निपटारा करने का इरादा रखती है, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	यथा उपरोक्त कंडिका–1,2,3 एवं 4 में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
उद्योग विभाग

ज्ञापांक–01/विधानसभा–03–09/2020 256

राँची, दिनांक– 02/03/2020

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक–472, दिनांक–28.02.2020 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2/3/20
सरकार के संयुक्त सचिव

528
02/03/2020

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

श्री बंधु तिर्की, स.वि.स. से प्राप्त अल्प-सूचित प्रश्न संख्या अ.सू.-06

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि: -	**श्री जगरनाथ महतो, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार**
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य में 600 मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अनुदानित विद्यालयों की संख्या लगभग 329 है जिसमें कक्षा 6 से 8 तक जे.सी.आर.टी. की पुस्तक सरकार द्वारा मुहैया नहीं कराने एवं बाजार में उपलब्ध नहीं होने से विद्यार्थियों के पठन.पाठन कार्य बाधित हो रहे है.	वस्तुस्थिति यह है कि RTE, 2009 के अनुपालन में समग्र शिक्षा अंनर्गत सरकारी विद्यालयों की संख्या 35447 एवं गैर-सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) 843 प्रारंभिक विद्यालयों के सभी छात्र-छात्राओं को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध करायी जाती है। इसके अलावा पाठ्यक्रम की सभी पुस्तकें में QR Code लगाया गया है, जिसके माध्यम से कोई भी विद्यार्थी DIKSHA ऐप द्वारा उक्त पाठ्य-पुस्तकों का अध्ययन कर सकते हैं। RTE, 2009 के तहत अद्यतन सूचना के अनुसार मात्र 206 प्राइवेट प्रारंभिक कक्षा संचालित होने वाले विद्यालय मान्यता प्राप्त हैं।
2.	यदि उपरोक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अनुदानित विद्यालयों के लिए पुस्तक उपलब्ध कराने पर विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	शैक्षणिक सत्र 2020-21 से निःशुल्क वितरित पाठ्य पुस्तकों के 5 प्रतिशत पुस्तक के बराबर पाठ्य पुस्तक निर्धारित दर पर खुले बाजार में उपलब्ध रहेंगे। इसके अलावा कोई भी विद्यालय पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराने के लिए पूर्व सूचना एवं अधियाचना के आलोक में वांछित पाठ्यपुस्तक निर्धारित दर पर सभी विद्यालयों को मुद्रकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जा सकता है।

2/3/2020
सरकार के अवर सचिव

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक 16/वि-1-10/20-325 राँची, दिनांक 02/03/2020

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 254, दिनांक 23.02.2020 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2/3/2020
सरकार के अवर सचिव

Khurshid

डॉ0 इरफान अंसारी, स0वि0स0 द्वारा दिनांक 03.03.2020 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–12

क्या माननीय मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग
यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

माननीय मंत्री:–

क0सं0	प्रश्न	उत्तर
1-	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड के पहाड़ो से अवैध खनन कर पहाड़ो का अस्तित्व समाप्त किया जा रहा है, फलस्वरूप झारखण्ड की पहचान का पूर्णरूप से समाप्त करने का साजिस हो रही है;	राज्य के खनिजों के अवैध खनन के रोकथाम हेतु प्रत्येक जिला में जिला खनन पदाधिकारी, सहायक खनन पदाधिकारी एवं जिला टास्क फोर्स द्वारा नियमित रुप से संज्ञान में आए मामलों पर जाँच, निरीक्षण कर नियमानुसार कार्रवाई की जाती है तथा दण्ड निरूपित करते हुए प्राथमिकी दर्ज की जाती है। पत्थर अवैध खनन के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में वाद संख्या–1806/2015 दाखिल है, जिसमें समय–समय पर विभाग द्वारा कृत कार्रवाई से माननीय न्यायालय को अद्यतन स्थिति से अवगत कराया जाता है।
2-	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड से पत्थरों का कालाबाजारी कर दूसरे प्रांतों में भेजा जा रहा है, जिससे सकरारी आय की क्षति हो रही है;	अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण के सुनियंत्रित करने हेतु The Jharkhand Minerals(Prevention of Illegal Mining Transprotation and Storages Rules, 2017 (छायाप्रति संलग्न) का गठन किया गया है जिसके तहत गत वित्तीय वर्ष में की गई कार्रवाई की विवरणी निम्नवत:– (i) कुल मामलों की संख्या–2350 (ii) कुल दर्ज प्राथमिकी की संख्या–584 (iii) दण्ड स्वरूप वसूल की गई कुल राशि–430.5 लाख
3-	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पूर्णरूप से पहाड़ों से पत्थरों का खनन एवं कालाबाजारी पर रोक लगाने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	तदैव

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांक:–वि0स0(अ0सू0)–12/2020 341 /एम0, राँची, दिनांक–2·3·2020

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0 380 दिनांक 25.02.2020 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2/3/2020
सरकार के उप सचिव

Steps Taken Against Illegal Mining & Transportation of Mineral till December, 2019

Quantity in Tonnes
(Rs. In Lakhs)

District	Type of Mineral	No. of cases detected	Seizure						Court cases			Fine Realize
			Ore/ Mineral		Transport Vehicle		Mining Machinery		FIR Lodged (Nos.)	Filed (No.)	Decision Decided (No.)	
			Qty	Value	Nos	Value	Nos	Value				
Bokaro	Minor	109	-	1.4	-	-	1	-	33	-	76	9.72
	Major	2	0	3.23	0	0	0	0	2	0	0	3.23
Chaibasa	Minor	58	-	2.79	36	-	-	-	5	-	-	5.61
	Major	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	-
Chatra	Minor	7	20	1.1	5	-	-	-	-	7	-	3.25
	Major	12	0	0	14	0	0	0	12	0	0	-
Deoghar	Minor	149	648	0.45	179	-	-	-	14	-	-	21.78
	Major	2	45	0	2	0	0	0	1	0	0	-
Dhanbad	Minor	37	194	5.43	144	-	-	-	16	-	-	5.43
	Major	51	0	0	0	0	0	0	51	0	0	-
Dumka	Minor	250	-	-	278	-	-	-	25	-	-	72.28
	Major	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Garhwa	Minor	111	811.28	3.71	111	-	-	-	6	6	-	-
	Major	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Giridih	Minor	46	56	-	41	-	-	-	9	-	-	6.7
	Major	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Godda	Minor	229	6554	43.52	490	-	-	-	122	122	-	46.3
	Major	1	24	0.58	1	0	0	0	1	1	0	-
Gumla	Minor	16	-	1.31	32	-	-	-	15	2	-	2.16
	Major	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Hazaribagh	Minor	9	-	-	21	-	-	-	7	-	-	-
	Major	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Jamshedpur	Minor	31	299.58	-	43	-	-	-	11	-	-	5.66
	Major	2	293.2	-	-	-	1	-	1	-	-	-
Khunti	Minor	38	6529.96	10.31	29	-	-	-	5	-	-	9.511
	Major	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Koderma	Minor	75	-	-	160	-	-	-	28	-	-	12.31
	Major	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Latehar	Minor	51	2139	-	-	-	-	-	13	-	-	3.37
	Major	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	-
Lohardaga	Minor	63	484	6.7	62	4.06	-	-	1	63	-	9.33
	Major	6	-	-	9	-	-	-	2	-	-	-
Pakur	Minor	181	284	14.06	158	-	-	-	20	20	-	29.7
	Major	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Palamu	Minor	418	16953.82	28.393	260	-	-	-	39	39	23	34.68
	Major	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Ramgarh	Minor	85	225.12	4.72	-	-	-	-	18	-	-	9.54
	Major	6	0	0	0	0	0	0	3	0	0	-
Ranchi	Minor	144	252	0.89	3	-	2	-	16	-	-	76.86
	Major	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Sahebganj	Minor	-	-	-	140	41.03	-	-	59	-	-	41.03
	Major	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Simdega	Minor	34	-	-	-	-	-	-	34	11	1	2.11
	Major	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Jamtara	Minor	72	375.97	4.34	-	-	-	-	7	-	-	14.89
	Major	1	120	0	0	0	0	0	1	0	0	-
Saraikela Kharsawan	Minor	50	218.75	0.61	30	25.7	-	25	4	2	-	5
	Major	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
TOTAL		2,350.00	36,527.68	133.54	2,248.00	70.79	4.00	25.00	584.00	273.00	100.00	430.45

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
श्री भूषण तिर्की स.वि.स. से प्राप्त अल्प-सूचित प्रश्न संख्या अ.सू.-22

	प्रश्न	उत्तर
क्रमांक	क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-	**श्री जगरनाथ महतो, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार**
1.	क्या यह बात सही है, कि गुमला जिलान्तर्गत अल्पसंख्यक प्रा. विद्यालयों की संख्या 220 है;	स्वीकारात्मक। अविभाजित बिहार के समय निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, बिहार, पटना के पत्रांक 957 दिनांक 30.03.1993 के अनुसार अविभाजित गुमला जिले में 430 गैर सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) प्रारंभिक विद्यालय थे। विभाजन के पश्चात् गुमला जिले में 220 विद्यालय इस कोटि के स्वीकृत हैं।
2.	क्या यह बात सही है, कि उक्त विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या के अनुरूप कुल 816 शिक्षकों के पद है, परन्तु अभी मात्र 450 शिक्षक ही कार्यरत है;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। जिला शिक्षा अधीक्षक, गुमला के प्रतिवेदनानुसार कुल 805 पद स्वीकृत एवं वर्तमान में 9 विद्यालय बंद है। यू.डाईस के अनुसार कार्यरत शिक्षकों की संख्या 493 एवं नामांकित छात्रों की संख्या 29177 प्रतिवेदित है।
3.	क्या यह बात सही है, कि गुमला जिला हेतु शिक्षकों की नियुक्ति संबंधी मामला शिक्षा निदेशालय में लंबित है;	अस्वीकारत्मक। अल्पसंख्यक प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक नियुक्ति हेतु सक्षम प्राधिकार संबंधित विद्यालय की विद्यालय प्रबंधन समिति ही होती है। उनके द्वारा की गई नियुक्ति का अनुमोदन जिला शिक्षा अधीक्षक के द्वारा किया जाता है। तदोपरांत वेतन निर्धारण अनुमोदन हेतु प्राथमिक शिक्षा निदेशालय को उपलब्ध कराया जाता है। वर्तमान में गुमला जिले के 34 शिक्षकों का वेतन निर्धारण निदेशालय स्तर पर लंबित है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार छात्रों के भविष्य पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए अविलम्ब शिक्षकों की	कंडिका 3 से वस्तुस्थिति स्पष्ट होगी। लंबित वेतन निर्धारण मामलों का निष्पादन दो माह में कर लिया जायेगा।

	नियुक्ति एवं पद स्थापन का विचार रखती है। हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	

24/3/2020

सरकार के अवर सचिव

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक 8/वि.स.-16/20-338 राँची, दिनांक 02.03.2020

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 476 दिनांक 28.02.2020 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/3/2020

सरकार के अवर सचिव

459
02/03/2020

श्री बिरंची नारायण, स०वि०स० से प्राप्त अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ०सू–08

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

<table>
<tr><th>क्रमांक</th><th>प्रश्न</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td>1</td><td>क्या यह बात सही है कि वर्तमान में झारखण्ड में 10 +2 उच्च विद्यालय खोलने की सीमा 8 किलोमीटर है ;</td><td>आंशिक स्वीकारात्मक।
विभागीय अधिसूचना–2748 दिनांक 18.11.2008 द्वारा प्रत्येक 07–08 किमी की परिधि तथा 10000 की आबादी पर +2 विद्यालय की सुविधा उपलब्ध कराने की नीति निर्धारित है।</td></tr>
<tr><td>2</td><td>क्या यह बात सही है झारखण्ड एक पठारीय वन आच्छादित क्षेत्र है, जहां 8 किलोमीटर की सीमा काफी कष्टकारी है;</td><td>आंशिक स्वीकारात्मक।</td></tr>
<tr><td>3</td><td>यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार विद्यार्थी हित में उक्त 8 किलोमीटर की सीमा को घटाकर 5 किलोमीटर करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?</td><td>वर्तमान में झारखण्ड राज्य में उच्चतर माध्यमिक (+2) स्तर के संचालित कुल विद्यालय की संख्या निम्नवत् है :–
<table>
<tr><td>1</td><td>सरकारी +2 विद्यालय</td><td>510</td></tr>
<tr><td>2</td><td>स्थायी प्रस्वीकृत इंटर महाविद्यालय</td><td>176</td></tr>
<tr><td>3</td><td>स्थापना अनुमति प्राप्त इंटर महाविद्यालय</td><td>122</td></tr>
<tr><td>4</td><td>कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय</td><td>203</td></tr>
<tr><td>5</td><td>झारखण्ड आवासीय बालिका विद्यालय</td><td>57</td></tr>
<tr><td>6</td><td>केन्द्रीय विद्यालय (स्थायी)</td><td>28</td></tr>
<tr><td>7</td><td>केन्द्रीय विद्यालय (अस्थायी)</td><td>09</td></tr>
<tr><td>8</td><td>जवाहर नवोदय विद्यालय</td><td>26</td></tr>
<tr><td>9</td><td>मॉडल विद्यालय</td><td>89</td></tr>
<tr><td>10</td><td>इन्दिरा गांधी बालिका विद्यालय, हजारीबाग</td><td>01</td></tr>
<tr><td>11</td><td>नवस्थापित आवासीय विद्यालय (रांची, चाईबासा एवं दुमका)</td><td>03</td></tr>
<tr><td colspan="2">कुल</td><td>1222</td></tr>
</table>
वर्णित परिप्रेक्ष्य में अतिरिक्त +2 विद्यालय खोलने की आवश्यकता प्रतीत नहीं हो रही है।</td></tr>
</table>

02/03/2020
सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10 / वि.स.1–07 / 2020 459 राँची, दिनांक 02/03/2020

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02/03/2020
सरकार के उप सचिव।

श्री मनीष जायसवाल, स0वि0स0 द्वारा दिनांक 03.03.2020 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–13

क0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन की रिपोर्ट अन्तर्गत राज्य में अबतक एक भी डुएल मोड (डिस्टेंट एजुकेशन) वाले एक भी विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं हुई है, जबकि बिहार, पंजाब, उड़ीसा, उतराखण्ड में 03/पश्चिम बंगाल, तेलंगाना में 07/दिल्ली, आसाम, केरल, राजस्थान में 05 तथा कई अन्य राज्यो में उक्त महाविद्यालय संचालित है;	स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित एजुकेशन की स्थापना कार्य हेतु सरकार द्वारा राज्य के सभी विश्वविद्यालयों को 25 लाख रूपये अग्रिम राशि दिये जाने के बावजूद अबतक राज्य के किसी भी विश्वविद्यालयों में डिस्टेंस एजुकेशन की स्थापना नहीं की गयी है, जिसके कारण राज्य के लोगों को संबधित एजुकेशन के लाभ हेतु अन्य राज्यों पर निर्भर रहनी पड़ती है तथा इससे राज्य सरकार को राजस्व की भी क्षति होती है।	स्वीकारात्मक है। राज्य सरकार द्वारा दूरस्त शिक्षा मद में 05 विश्वविद्यालयों को राशि उपलब्ध करायी गयी है। लेकिन यू0 जी0 सी0 के नियमों के आलोक में उन्हीं विश्वविद्यालयों को दूरस्थ शिक्षा आरम्भ करने की अनुमति दी जाती है, जिसे NAAC – A Grade प्राप्त हुआ हो। चूंकि झारखण्ड में किसी भी विश्वविद्यालय को A Grade प्राप्त नहीं हुआ है। अतः दूरस्थ शिक्षा प्रारम्भ नहीं की जा सकी है।
3	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार राज्यहित में खण्ड–01 में वर्णित एजुकेशन की स्थापना राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	झारखण्ड राज्य के ग्रामीण एवं सुदूर क्षेत्र तक उच्च शिक्षा के पहुँच को विस्तारित करने हेतु एवं कम लागत पर सामाजिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर छात्र–छात्राओं को उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए राज्य में खुला विश्वविद्यालय (Open University) स्थापित करने का विचार है। अगामी वित्तीय वर्ष 2020–21 में इसे मूर्त रूप दिया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक 1/वि0स0–08/2020 335 / रॉची, दिनांक 02/03/2020

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, रॉची को पत्रांक– 381 दिनांक 25.02.2020 के प्रसंग में 200 प्रतियो के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02/03/20

सरकार के अवर सचिव,
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,
झारखण्ड, रॉची।